GCMS NO. - 2025/155

मिसल नम्बर– 23 / 2025

1 घनश्याम आत्मज स्व0 ग्यारसी लाल

2 महावीर आत्मज स्व0 ग्यारसी लाल

3 श्रवण आत्मज स्व0 ग्यारसी लाल जाति मेघवाल निवासी नांदना उर्फ बड़गांव तह0 लाडपुरा जिला कोटा

.....प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा

..... अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक – 18/3/26

नाम अभिभाषक

1. श्री ललित नागर, श्री मुकेश मीणा, श्री मोहित शर्मा–वादीगण
2. राजकीय अभिभाषक

<u>प्रार्थना पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 एल आर एक्ट</u>

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है:–

प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि खाता संख्या नया 29 की खसरा नम्बर 120 की रकबा 2.900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 की रकबा 3.8700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 84 रकबा 1.0400 है0 कुल किता 3 रकबा 7.81 हैक्टेयर वाके ग्राम देवनगर, पटवार हल्का गिरधरपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0 मे स्थित चली आ रही है।

संवत 2059 से 2062 मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि देवी लाल, ग्यारसी लाल पुत्रान काल्या हिस्सा 1/2 व रामदेव, उच्छव लाल, सुखलाल पुत्रान मंगला धन्नी वेबा मंगला हिस्सा 1/2 हिस्सा बराबर दर्ज रहा है। उपरोक्त आराजियात का सभी सह खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन तहसील आदेश क्रमांक एल आर/ 3766 दिनांक 04.07.2008 के माध्यम से करवाया गया, जो निम्न प्रकार है:–

1	रामदेव, उच्छबलाल, सुखलाल पिसरान मंगला, धन्नी बाई बेवा मंगला	ख0न0 54	र0 3.78 है0

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

2	देवीलाल पुत्र काल्या	ख0न0 84 ख0न0 120	र0 0.52 है0 उत्तरी र0 1.49 है0 उत्तरी
3	ग्यारसी लाल पुत्र काल्या	ख0न0 84 ख0न0 120	र0 0.52 है0 दक्षिण र0 1.50 है0 दक्षिण

उक्त विभाजन आदेश के आधार पर नामांतरण संख्या 135 दिनांक 18–8–2008 को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा राजस्व जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में विभाजन का इन्द्राज कर दिया गया और मुताबिक विभाजन तहसील आदेश नक्शे में तरमीम करने हेतु हल्का पटवारी को आदेशित कर दिया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार लाड़पुरा जिला कोटा द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 04.07.08 का अमल राजस्व जमाबंदी में नामांतरण संख्या 135 दिनांक 18.8.2008 को करते हुए चोसाला जमाबंदी में विभाजन अनुसार इन्द्राज दर्ज कर दिया गया। जो राजस्व जमाबंदी संवत 2069 से 2072 से स्पष्ट है।

उक्त सहमति विभाजन के सम्बंध में दर्ज नामांतरण के अनुसार संवत 2073 से 2076 में सेगरीगेशन की कार्यवाही के दौरान ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन अनुसार जमाबंदी तैयार ना कर वापस पूर्वानुसार ही राजस्व जमाबंदी संयुक्त रूप से तैयार कर दी गई और इस प्रकार सहमति विभाजन के सम्बंध में दर्ज नामांतरण संख्या 135 दिनांक 18.8.2008 के अनुसार वर्तमान राजस्व जमाबंदी तैयार नहीं कर संपूर्ण खाता को संयुक्त रूप से वर्तमान जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया, जबकि अप्रार्थी का दायित्व था कि वह वाद वर्णित भूमि का इन्द्राज आपसी सहमति से हुये विभाजन अनुसार करते हुए तदनुसार नक्शा तरमीम कर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन दर्ज करते। परंतु अप्रार्थी ने अपने दायित्वों के विरूद्ध जाकर वर्तमान राजस्व जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

सेगरीगेशन की कार्यवाही के दौरान वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज इन्द्राज को दुरूस्त किए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थी के यहां दिनांक 09.01.2025 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि सहमति विभाजन के तहत तस्दीक किए गए नामांतरण संख्या 135 दिनांक 18.8.2008 के अनुसार जिसका की इन्द्राज राजस्व जमाबंदी 2069 से 2072 में दर्ज हो रहा है, के मुताबिक वर्तमान राजस्व जमाबंदी को दुरुस्त किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी गिरधरपुरा से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर इन्द्राज दुरूस्ती नहीं कर प्रार्थीगण को निर्देश दिया कि वह सक्षम न्यायालय में जाकर आदेश जारी करवाएँ। तत्पश्चात ही वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जबकि हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में खाते पर नामांतरण संख्या 135 दिनांक 18.08.2008 के विभाजन का नोट लगा हुआ है। परंतु उक्त विभाजन का अमल वर्तमान जमाबंदी में नहीं है और खाते पर स्थगन का नोट लगा हुआ है। अतः खाते से स्थगन का नोट हटाकर विभाजन की प्रविष्टिया दर्ज की जा सकती है और विभाजन की प्रविष्टिया दर्ज होने के पश्चात पुनः स्थगन का नोट लगा दिया जाना उचित होगा। इस रिपोर्ट के बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त नहीं किया गया बल्कि न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही करने हेतु दिनांक 13.2.2025 को प्रार्थीगण को निर्देशित कर दिया गया।

जबकि अप्रार्थी की उक्त कार्यवाही अवैध, गैर कानूनी है और पक्षपातपूर्ण है चूंकि खाते पर स्थगन का नोट होने के बावजूद अप्रार्थी द्वारा ग्यारसी लाल की मृत्यु के पश्चात व देवी लाल की मृत्यु के पश्चात फौती नामांतरण संख्या 275 दिनांक 27.2.2017 को दर्ज किया है। इसी प्रकार रिलीज डीड के सम्बंध मे नामांतरण संख्या 279 दिनांक 2.8.2017 को अप्रार्थी द्वारा स्वीकृत किया है। ऐसी स्थिति में विभाजन का अमल भी अप्रार्थी द्वारा किया जा सकता है पंरतु अप्रार्थी द्वारा जानबूझकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त नही किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न हो चुका है।

माननीय न्यायालय को सेगरीगेशन के दौरान ऑनलाईन वर्तमान राजस्व जमाबंदी मे हुई त्रुटि को दुरूस्त किए जाने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम देवनगर, पटवार हल्का गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद वर्णित भूमि खाता संख्या नया 29 की खसरा नम्बर 120 की रकबा 2.990 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 की रकबा 3.7800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 84 रकबा 1.0400 कुल किता 3 रकबा 7.81 हैक्टेयर वाके ग्राम देवनगर, पटवार हल्का गिरधरपुरा, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा के सम्बंध में आपसी सहमति के तहत हुये विभाजन के सम्बंध में स्वीकृत किए गए नामांतरण संख्या 135 दिनांक 18.8.2008 के अनुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में आपसी सहमति से हुए विभाजन का अमल करते हुए तदनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर तदनुसार नक्शे में तरमीम किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी तहसीलदार लाडपुरा से जवाब प्राप्त किया गया जो निम्ननुसार हैः–

वर्तमान राजस्व रिकोर्ड अनुसार ग्राम देवनगर के खसरा नं0 120, 54, 84 किता 3 रकबा 7.81 है0 भूमि उच्छव लाल पुत्र श्री मंगला वगै0, ओमशंकर पुत्र श्री

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रामगोपाल वगै0, घनश्याम पुत्र श्री ग्यारसीलाल, सीमाबाई पुत्री श्री देवीलाल वगे0 खाते दर्ज रिकोर्ड है।

नामा0 सं0 135 दिनांक 18.08.2008 से उक्त खाते का सहमति विभाजन किसा गया जिसका जमाबंदी संवत 2069–72 मे नोट लगाकर अंकन किया गया। अतः उक्त नामान्तकरण के अनुसार खाते मे अमल दरामद नही किया गया केवल नोट लगाकर ही अंकन किया गया ।

तत्पश्चात उक्त खाते पर नोट संख्या 1 नि0 दिनांक 07.07.2011 तहसील आदेश एलआर/1089 दिनांक 02.03.2010 से निर्णय अपील आर्डर/124/96 कोटा दिनांक 11.06.1996 राजस्व अपील प्राधिकरण कोटा व निर्णय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर (निगरानी) टीए/4996/96 दिनांक 22.01.2001 से रामदेव, उच्छव लाल, सुखलाल, धन्नीबाई, बैय का हस्तान्तरण नही किये जाने का नोट लगा हुआ है।

इस प्रकार जमाबंदी संवत 2069–72 मे उक्त खाते पर पहले विभाजन का नोट अंकित किया गया है। (दिनांक 18.08.2008) तत्पश्चात स्टे नोट का अंकन किया गया है। (दिनांक 07.07.2011)

जमाबंदी संवत 2073–76 मे उक्त खाते मे ग्यारसी लाल व देवीलाल के वारिस भी दर्ज किये गये व रीलीज डीड का इन्तकाल भी खोला गया है।

प्रार्थी नामान्तकरण संख्या 135 दिनांक 18.08.2008 मे हुये सहमति विभाजन को वर्तमान जमाबंदी मे अमल–दरामद करवाना चाहता है।

बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया व बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

पत्रावली मे संलग्न नामान्तकरण ग्राम देवनगर से प्रमाणित है कि तहसील आदेश दिनांक 04.07.2008 की पालना मे विभाजन का इंतकाल दिनांक 18.08.2008 को स्वीकृत किया गया था।

रिपोर्ट तहसीलदार लाडपुरा से यह भी प्रमाणित होता है कि उक्त सहमति विभाजन के नोट का अंकन जमाबंदी संवत 2069 से 2072 मे किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 07.07.2011 तहसील आदेश दिनांक 02.03.2010 से निर्णय अपील ऑर्डर /124/96 कोटा दिनांक 11.06.1996 राजस्व अपील अधिकारी कोटा व निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर निगरानी टीए/4996/96 दिनांक 22.01.2001 से रामदवे, उच्छव लाल, सुखलाल पुत्रान धन्नी बाई बेवा मंगला के हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रहन , बय व हस्तान्तरण नही किये जाने का नोट लगा हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 11.06.1996 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 22.01.2001 तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 02.08.2024 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि पूर्व प्रकरण खारिज हो चुका है व वर्तमान मे कोई स्थगन प्रभावी नही है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि खाते मे दर्ज खातेदारों मे मध्य सहमति विभाजन दिनांक 04.07.2008 को सम्पन्न हुआ। जिसकी पालना मे नामान्तकरण संख्या 135 दिनांक 18.08.2008 को स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तकरण का नोट जमाबंदी पर अंकित भी किया गया लेकिन नवीन जामबंदी बनाते समय उक्त नोट का अमल दर्ज स्थगन के परिणामस्वरूप खाते पर नही किया गया। जो नियमानुसार उचित प्रतित नही होता। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों व रिपोर्ट तहसीलदार लाडपुरा से यह प्रमाणित होता है कि सहमती विभाजन तथा उसके परिणामस्वरूप दर्ज नामान्तकरण संख्या 135 पर किसी प्रकार का कोई न्यायिक प्रकरण जैरकार नही है। तथा उक्त नामान्तकरण संख्या के संबंध मे किसी सक्षम न्यायालय से कोई स्थगन आदेश जारी नही हुआ है।

विभाजन रहन, बय व स्थानान्तकरण की श्रेणी मे नही आता। विभाजन के परिणामस्वरूप खातेदार व खातेदारान के हिस्से मे कोई परिवर्तन नही होता तथा सहमती विभाजन व उसके आधार पर दर्ज नामान्तकरण संख्या 135 पर कोई न्यायिक प्रकरण जैरकार नही है तथा किसी सक्षम न्यायालय से कोई स्थगन जारी नही हुआ है।

उक्त परिस्थिति मे हम प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल आर एक्ट स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि सहमति विभाजन के परिणामस्वरूप दर्ज नामान्तकरण संख्या 135 ग्राम देवनगर पटवार हल्का गिरधरपुरा का राजस्व रिकोर्ड मे नियमानुसार अमल करे तथा जमाबंदी पर अंकित स्थगन के संबंध मे प्रस्तुत आदेश दिनांक 02.08.2024 के क्रम मे जांच कर यदि प्रकरण समाप्त हो चुका है तो नियमानुसार कार्यवाही करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा